संख्या-289/2025/3187/22-2-2022-17(894)/2021

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 21 मार्च, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र श्री रामचरन निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म ए-के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-29945/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-04-08-2022) दिनांक-20-09-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र श्री रामचरन, अग्गा खेड़ी, थाना-मण्डावर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 19.11.2000 को 01 सहअभियुक्त से साथ मिलकर विवेक उर्फ विक्की नामक लड़के का फिरौती के लिये अपहरण कर तमन्चे से गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-224/2004 में भा0द0वि0 की धारा 364/34, 302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/कोर्ट सं0-1, बिजनौर के आदेश दिनांक 03.03.2006 द्वारा दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 03.04.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 04 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 08 माह 28 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 06.03.2020 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 19.11.2000 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर फिरौती के लिए विवेक उर्फ विक्की नामक लड़के का अपहरण कर तमन्चे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुनर्विचारित आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं पुनर्विचारित आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विजय पुत्र श्री रामचरन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय (बन्दी संख्या-41718) पुत्र श्री रामचरन निवासी जनपद-बिजनौर को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-289/2025/3187(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-289/2025/3187/22-2-2022-17(894)/2021

दिनांक: 21 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विजय पुत्र श्री रामचरन, अग्गा खेड़ी, थाना-मण्डावर, जनपद-बिजनौर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 19.11.2000 को 01 सहअभियुक्त से साथ मिलकर विवेक उर्फ विक्की नामक लड़के का फिरौती के लिये अपहरण कर तमन्चे से गोली मारकर हत्या कर दी । उक्त अपराध हेतु बन्दी को एसटी नं0-224/2004 में भा0द0वि0 की धारा 364/34, 302/34, 201 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/कोर्ट सं0-1, बिजनौर के आदेश दिनांक 03.03.2006 द्वारा दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 03.04.2022 तक अपरिहार 16 वर्ष, 04 माह, 18 दिन तथा सपरिहार 21 वर्ष, 08 माह 28 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 06.03.2020 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी के भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 19.11.2000 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर फिरौती के लिए विवेक उर्फ विक्की नामक लड़के का अपहरण कर तमन्चे से गोली मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने का अंकन पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुनर्विचारित आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं पुनर्विचारित आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विजय पुत्र श्री रामचरन को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।